कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 11.09.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-13 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान मा0न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना को0 नगर पुलिस ने 01वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना परसपर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सूर्यलाल बारी पुत्र भूसैली निवासी बरौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 395/23, 02. जिलेदार पुत्र संतू निवासी ग्राम रग्घूपुरवा मौजा हरदिहा सपौर थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0स0 396/23, 03. गुड्डू पाडेण्य उर्फ बद्री विशाल पाडेण्य पुत्र स्व रामनरायन पाण्डेय निवासी ग्राम रुपीपुरवा विशुनपुर कला थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0स0 397/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सोभालाल पासी पुत्र तिलई पासी निवासी डालपुरवा थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 299/23, 02. अरुन पुत्र बब्बू पासवान निवासी बड़की बगिया पकवानगांव थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोंडा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0स0 300/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को0देहात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. प्रदीप पुत्र राम कुशुन निवासी ग्राम नैनागढ महादेवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 494/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना कर्नैलगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अनिल उर्फ संजय कनौजिया पुत्र बाबदीन नि0 पाल्हापुर रामपुरवा थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 534/23, 02. कृपाराम यादव पुत्र रामसेवक नि0 प्रतापपुर थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0स0 535/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 11.09.2023

मोटरसाइकिल चोरी करने के 2 आरोपी अभियुक्तगण को हुई 03 वर्ष का कारावास व 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप मोटरसाइकिल चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तो को 03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को रु0 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 12.08.2017 को थाना कोतवाली करनैलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्तगण 01. दुःखहरण मौर्य व 02. जाफर अली को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अभिनव चतुर्वेदी, मॉनिटरिंग प्रभारी रायसाहब यादव व थाना को0कनैलगंज के पैरोकार मु0आरक्षी दीनबंधु दुबे द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगण को आज दिनाक 11.09.2023 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोंडा ने 03 वर्ष कारावास व □5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. दुखहरण मौर्य पुत्र विश्वनाथ मौर्य निवासी गाड़ी बाजार थाना करनैलगंज जनपद गोंडा।
02. जाफर अली पुत्र पीर अली निवासी सकरौर थाना कर्नलगंज जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01.मु0अ0सं0- 413/2017, धारा 411 भा0द0वि0 थाना करनैलगंज, गोण्डा।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 11.09.2023

आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तारः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0कर्नैलगंज पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के आरोपी अभियुक्त रामकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी सर्वेश कुमार बाजपेई के भाई को प्रताड़ित कर आत्महत्या करने के लिये प्रेरित किया था। जिससे वादी का भाई,प्रताड़ना से आहत होकर आत्महत्या कर लिया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कर्नैलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राम कुमार पुत्र मथुरा प्रसाद नि0 कटरा शाहबाजपुर थाना कोतवाली कर्नैलगंज जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 138/2023 धारा 306 भादवि थाना कर्नैलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

व0उ0नि0 रामप्रकाश चन्द्र मय टीम थाना को0कर्नैलगंज गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 11.09.2023

नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं से घटित अपराधों में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त अरविन्द वर्मा उर्फ रवीन्द्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना वजीरगंज क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को अपने बहला फुसलाकर भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की माँ द्वारा थाना वजीरगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अरविन्द वर्मा उर्फ रवीन्द्र पुत्र हनुमान प्रसाद वर्मा निवासी तारापुर रजौली थाना कैण्ट जनपद अयोध्या

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-314/23 धारा 363, 366, 376(2) भादवि 5L/6 पाक्सो ऐक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता-

01. उ0नि0 संतराज यादव मय टीम थाना को0नगर, गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 11.09.2023

जानलेवा हमला करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षो को दिए थे।
उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर जानलेवा हमला करने का आरोपी अभियुक्त जाबिर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है उक्त अभियुक्त अपने साथियों के साथ एक राय होकर वादी के पुत्र को घर में घूसकर जान मारने की नियत से बेल्ट, लोहे की राड़ से मारे पीटे है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. जाबिर अली पुत्र स्व0 साकिर अली निवासी मोहल्ला राधाकुण्ड थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-801/23, धारा 307, 147, 452, 323,504,506 भादवि थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 शरद कुमार अवस्थी मय टीम थाना को0नगर गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 11.09.2023

विद्युत तार चोरी करने का वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 14 किलो0 विद्युत केबिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वाहन चोरी में संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर विधुत केबिल चोरी करने का वाछिंत अभियुक्त -सिराज को न्यू मेवतियान जाने वाली मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से विद्युत विभाग का 14 किलोग्राम (7 बंडल) विद्युत केबिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सिराज पुत्र अब्दुल अजीज निवासी मेवतियान थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-797/23, धारा 41,411,413 भादवि, 05 उ0प्र0 बिजली के तार व ट्रांसफार्मर अधिनियम 1976 थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. विद्युत विभाग का विद्युत केबिल 14 किलोग्राम (7 बंडल)।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 वीरेन्द्र शुक्ला मय टीम थाना को0नगर गोण्डा।